MSTC/CS/SE/732

27th May, 2026

1. The Dy. Manager (Listing)
   BSE Limited
   Phiroze Jeejeebhoy Towers,
   Dalal Street, Mumbai 400 001.
   (Scrip Code: 542597)

2. The Manager, Listing Department
   National Stock Exchange of India Limited
   Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex
   Bandra (E), Mumbai 400 051
   (Scrip Code: MSTCLTD)

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper Publication

In terms of Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, we are enclosing herewith scanned copy of advertisement, regarding renewal of the SAA between Govt. of Chhattisgarh and MSTC for e-auction of scraps of all offices and departments under Govt. of Chhattisgarh, published in the newspapers viz Navbharat (Hindi), Dainik Bhaskar (Hindi) dated 27th May, 2026.

The aforesaid information is also available on the website of the company at https://www.mstcindia.co.in/content/Publication.aspx

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For MSTC Limited

Ajay Kumar Rai
Digitally signed by Ajay Kumar Rai
Date: 2026.05.27 18:37:36 +05'30'

(Ajay Kumar Rai)
Company Secretary & Compliance Officer

संस्थापक : स्व. रामगोपाल माहेश्वरी

ज्येष्ठ अधिकमास शुक्ल पक्ष-11 | पृष्ठ : 12+6 | मूल्य : 6 रुपये

नवभारत

navabharat.news

बैडमिंटन

सिंधू सिंगापुर ओपन में जीतीं, सात्विक-चिराग भी आगे बढ़े... स्पोर्ट्स

डामर की बढ़ी कीमतों पर सरकार देगी ठेकेदारों को क्षतिपूर्ति राशि

साय कैबिनेट में बड़ा फैसला, जीएडी के अधीन होगा चयन मंडल

नवभारत ब्यूरो। रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सड़क निर्माण कार्यों में डामर की बढ़ी कीमतों को देखते हुए ठेकेदारों को बड़ी राहत दी है। अनुबंधित ठेकेदारों को अब क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी। यह राहत केवल डामर मूल्य में हुई असाधारण वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए निर्धारित फॉर्मूले के आधार पर दी जाएगी तथा अन्य निर्माण घटकों पर अनुबंध में पूर्व से प्रावधानित एस्केलेशन नियम यथावत लागू रहेंगे। 'नवभारत' ने इस मामले में 20 अप्रैल को खबर प्रकाशित कर बताया था कि डामर की बढ़ी कीमतों के कारण प्रदेशभर में 33 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अटक सकते हैं, इसे लेकर ठेकेदारों ने काम बंद करने की चेतावनी दी थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय(महानदी भवन) में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक » शेष पेज 10 पर

महंगे हुए डामर की वजह से 33 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट फंसने का खतरा

मटेरियल की कीमत डेढ़ गुना बढ़ी 33 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट पर संकट

कर्मचारी चयन मंडल अब सामान्य प्रशासन के अधीन

कैबिनेट में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके लिए 'छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम' में संशोधन किया जाएगा। 'छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अधिनियम 2026' लागू होने के बाद पूर्व के छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल का विलय नए कर्मचारी चयन मंडल में हो चुका है। साथ ही उसकी सभी परिसंपत्तियां व देनदारियां भी नए मंडल में शामिल हो गई हैं।

स्क्रैप निस्तारण अनुबंध की अवधि बढ़ी

मंत्रिपरिषद ने केंद्र सरकार के उपक्रम मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएसटीसी) के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध की अवधि को आगामी तीन वर्षों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे राज्य के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, मंडलों और स्थानीय निकायों में जमा स्क्रैप और अनुपयोगी सामग्रियों के पारदर्शी व व्यवस्थित निस्तारण हो सकेगा। यह अनुबंध नवंबर 2019 से प्रभावी है तथा 31 मई 2026 को समाप्त हो रहा था। एमएसटीसी के अत्याधुनिक ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से देशभर के खरीदार प्रतिस्पर्धी बोली लगाकर स्क्रैप सामग्री खरीद सकते हैं, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और राज्य को बेहतर मूल्य प्राप्त होता है। इस व्यवस्था से राज्य में स्क्रैप निस्तारण की प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित, तकनीक आधारित और राजस्वोन्मुख हुई है। इस निर्णय से विभागों को अलग-अलग निविदा और विज्ञापन प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी, प्रशासनिक समय और संसाधनों की बचत होगी। साथ ही कार्यालय परिसरों में स्वच्छता और स्थान प्रबंधन भी बेहतर होगा।